भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
(भा.कृ.अ.प.)
लाइब्रेरी एवेन्यू, नई दिल्ली–110012

सं. : 9(3)/2019–हिन्दी

दिनांक 27 मई, 2019

परिपत्र

परिषद् के 15 मई, 2002 के पत्रांक 1(13)/97–हिन्दी के माध्यम से प्राप्त **"सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी करने के लिए प्रोत्साहन योजना"** जो संस्थान में 25 जुलाई, 2002 के पृष्ठांकन सं. 9(3)/2002 के माध्यम से लागू है, संस्थान के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच वर्तमान वित्त–वर्ष अर्थात् 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए परिचालित की जा रही है । इस योजना की रूपरेखा इस प्रकार है :

1. योजना का क्षेत्र

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं ।

2. पात्रता

(क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं ।

(ख) केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो 'क' तथा 'ख' क्षेत्र (अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र एवं गुजरात महाराष्ट्र और पंजाब राज्य चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र) में कम से कम 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र (जिसमें 'क' व 'ख' क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें । इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिन्दी में किये गऐ अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि शामिल किये जाएँगे ।

(ग) आशुलिपिक/टाइपिस्ट जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अन्तर्गत आते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(घ) हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक जो सामान्यतः अपना काम हिन्दी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

3. पुरस्कार

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किये गये काम के आधार भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय

(दिल्ली) के उप–निदेशक (कार्यान्वयन) के 21 नवम्बर 2016 के पत्र सं. 19/1–58/2011–उ.क्षे.का.का–1(दि)/3344–3402 के साथ प्राप्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक (नीति) के 14 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन 12013/01/2011–रा.भा.(नीति) के अनुसरण में निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिये जाएँगे :

(1)	पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) :	प्रत्येक	5,000/–
(2)	दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) :	प्रत्येक	3,000/–
(3)	तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) :	प्रत्येक	2,000/–

अब यह प्रोत्साहन राशि केन्द्र सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय आदि के कार्यालयों के लिए एक समान रूप से लागू होगी।

4. **पुरस्कार के लिए मानदण्ड**

(क) मूल्यांकन के लिए 100 अंक रखे जाएँगे । इनमें से 70 अंक हिन्दी में किये गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएँगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे ।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा । ऐसे कर्मचारी को दिये जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं ।

(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा–जोखा रखेंगे । प्रत्येक सप्ताह के लेखे–जोखे पर अगले अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रति हस्ताक्षर किए जाएँगे । यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा–जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा–जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा ।

(घ) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किये गए अपने काम का लेखा–जोखा प्रति–हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा । यदि प्रति–हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा–जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्योरा देना होगा ।

5. **मूल्यांकन समिति**

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी प्रभारी, संयुक्त सचिव, संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर सचिव और वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं । संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं । तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है ।

पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणों में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा ।

इस योजना के चलन पर होने वाले खर्च का वहन प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने बजट प्रावधान से किया जाएगा । विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर इस परिपत्र के अधिकार से पुरस्कार स्वीकृत कर सकता है। इस पुरस्कार योजना पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपनी सहमति अ.टि.सं.एच.78/इइर्द.–।।।/87 दिनांक 27.1.88 द्वारा दे दी है ।

इस प्रोत्साहन योजना में सहभागिता के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे वित्त–वर्ष 2019–20 (01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक) के दौरान हिन्दी में किये गये कार्य से सम्बन्धित आँकड़े संलग्न प्रपत्र में भरकर, अपने प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष के माध्यम से, 15 अप्रैल 2020 तक हिन्दी एकक में भेजने कृपा करें । इस प्रोत्साहन योजना में सहभागिता करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे उनके द्वारा किये गये कार्य का रिकार्ड/साक्ष्य अपने पास रखें जिसे मूल्यांकन समिति की बैठक के समय उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाए ।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

ऊषा जैन

(ऊषा जैन)
प्रभारी, हिन्दी एकक एवं
सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी

वितरण :

1. समस्त प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/प्रभारी को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त प्रोत्साहन योजना अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच परिचालित करने की कृपा करें ।
2. निदेशक महोदय के निजी सहायक ।
3. कार्यालय प्रधान/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी के निजी सहायक ।
4. अध्यक्ष, संगणक अनुप्रयोग प्रभाग से अनुरोध है कि इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें ।
5. प्रभारी, संग्रहालय ।
6. गार्ड फाइल ।

हिन्दी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... की दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के दौरान हिन्दी के मूल काम की वार्षिक विवरणी

क्र. सं.	तिथि	कुल फाइलों, रजिस्टरों, आदि की संख्या जिनमें हिन्दी में काम किया गया	हिन्दी में लिखे गये टिप्पण और आलेखन के शब्दों की संख्या	हिन्दी में किये गये और काम		उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर
				संक्षिप्त ब्योरा	शब्दों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7